इकाई– X

अध्याय – 25

राजस्थान में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन

(Rural Local Self Governance in Rajasthan)

अधिकांश राष्ट्रों में स्थानीय स्वशासन के दो स्वरूप हैं – नगरीय स्वशासन व ग्रामीण स्वशासन। भारत में ग्रामीण शासन के रूप में जो व्यवस्था अपनायी गयी है उसे पंचायती राज व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। पंचायती राज व्यवस्था ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की एक ऐसी प्रणाली है जिसमें नागरिक विकास का उत्तरदायित्व स्वयं वहन करती हैं। यह नागरिकों की पहल और साझेदारी द्वारा ग्राम विकास की संस्थागत व्यवस्था की प्रणाली भी है।

भारत के संविधान में नीति निदेशक तत्वों के अन्तर्गत अनुच्छेद 40 में राज्यों को निर्देश दिया गया कि वे ग्राम पंचायतों का गठन कर उन्हें ऐसी शक्ति व प्राधिकार दें जो उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में विकसित करने में सहायक हो सकें। भारत में 1952 में केन्द्र सरकार द्वारा प्रवर्तित सामुदायिक कार्यक्रमों की समीक्षा के लिए 1957 में गठित बलवंतराय मेहता समिति ने 1958 में प्रस्तुत अपने प्रतिवेदन में पंचायती राज संस्थाओं के गठन की सिफारिश की थी।

मेहता समिति के इन सुझावों को भारत सरकार तथा राष्ट्रीय विकास परिषद ने स्वीकार कर लिया। स्थानीय प्रशासन राज्य सूची का विषय होने के कारण राज्य सरकारों से यह अपेक्षा की गई कि वे मेहता समिति के सुझावों के आधार पर अपने राज्य में पंचायती राज व्यवस्था को अपनाएं।

अधिकांश राज्य सरकारों ने मेहता समिति के सुझावों को स्वीकार करते हुए त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था स्थापित की। मेहता समिति की अनुशंसाओं के अनुरूप भारत में पंचायती राज की व्यवस्था अपनाने वाला राजस्थान देश का पहला और आन्ध्रप्रदेश दूसरा राज्य था। किन्तु एक राज्य से दूसरे राज्य में इसके स्वरूप में काफी अन्तर था।

इस प्रकार भारत में पंचायती राज के दो पृथक–पृथक स्वरूप, विकसित हुए, पहला था आन्ध्रप्रदेश स्वरूप, जिसमें खण्ड अर्थात् पंचायत समिति योजना और विकास की इकाई निर्धारित की गयी थी। दूसरा स्वरूप महाराष्ट्र स्वरूप कहलाता है, इसमें योजना और विकास की इकाई जिला अर्थात् जिला परिषद होती है।

भारत में पंचायती राज व्यवस्था के जो दो स्वरूप विकसित किए गए उनके कार्यकरण के अध्ययन से व्यवहार में कुछ विकृतियां सामने आयी। इन विकृतियों के सम्बन्ध में स्वयं बलवन्त राय मेहता समिति ने अपने प्रतिवेदन में उल्लेख किया था। एक ओर जहाँ पंचायती राज व्यवस्था से प्रशासनिक कार्यकुशलता आयी है, वहीं दूसरी ओर इन संस्थाओं में भ्रष्टाचार व्याप्त हुआ है तथा ग्रामीण क्षेत्रों में गुटबाजी बढ़ी है।

पंचायती राज व्यवस्था की विकृतियों को दूर करने के लिए तथा इन संस्थाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए सुधारों की समीक्षा करने तथा सुझाव देने के लिए केन्द्र तथा राज्य, दोनों सरकारों ने समय समय पर कई समितियां और आयोग नियुक्त किए। केन्द्रीय सरकार द्वारा 1977 में श्री अशोक मेहता की अध्यक्षता में गठित पंचायती राज सम्बन्धी समिति बहुत महत्त्वपूर्ण है क्योंकि इस समिति ने देश के विभिन्न राज्यों में पंचायती राज प्रणाली की समीक्षा की और पंचायती राज की भिन्न संरचना की सिफारिश की। समिति ने देश में पंचायती राज को कमजोर करने वाले विभिन्न कारकों की सावधानीपूर्वक जांच करने के पश्चात् गांव और जिले के बीच मण्डल पंचायतों के गठन की सिफारिश की। समिति ने पंचायती राज में राजनीतिक दलों की सीधी भागीदारी की उपयोगिता को भी स्वीकार किया।

पंचायती राज व्यवस्था में सुधार हेतु गठित अधिकांश समितियों का यह सुझाव था कि इन पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ तभी बनाया जा सकता है जब इनको संवैधानिक मान्यता प्रदान की जाए। इस दिशा में विचार किया गया तथा भारत सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं के लिए 1992 में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित करके इन संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान की।

73 वां संविधान संशोधन अधिनियम (73rd Constitutional Amendment Act)

इस प्रकार देश में पंचायती राज संस्थाओं के क्षेत्र में प्रवर्तित कमियों यथा – संवैधानिक मान्यता का अभाव, इनके अनियमित चुनाव व लम्बे समय तक अधिक्रमित रहने, उनकी दयनीय आर्थिक दशा, इनके पास पर्याप्त शक्तियों व अधिकारों के अभाव, अनुसूचित जाति व जनजाति तथा महिलाओं को अपर्याप्त प्रतिनिधित्व तथा इन संस्थाओं के चुनावों के

लिए प्रभावी व्यवस्था के अभाव की स्थितियां प्रमुख थी, के निवारण के लिए 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से सकारात्मक प्रयास किया गया है।

73वें संविधान संशोधन अधिनियम के प्रवर्तन के पश्चात् सभी राज्यों ने अपने अधिनियमों में संशोधन करके संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप नियम निर्धारित किए हैं जिससे सम्पूर्ण राष्ट्र में पंचायती राज व्यवस्था का नवीन स्वरूप सामने आया है। राजस्थान में पूर्व प्रचलित पंचायती राज अधिनियमों में संशोधन करके नवीन पंचायती राज अधिनियम, 1994 बनाया गया है। नवीन व्यवस्था में मूल रूप से त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के अतिरिक्त एक और स्तर का सृजन किया गया है जिसे ग्रामसभा कहा जाता है। इस प्रकार वर्तमान में ग्रामीण स्वशासन के क्षेत्र में मुख्य रूप से चार संस्थाएँ कार्य कर रही हैं :

1. जिला परिषद
2. पंचायत समिति
3. ग्राम पंचायत
4. ग्राम सभा

जिला परिषद (Zila Parishad)

भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के अन्तर्गत सर्वोच्च स्तरीय संस्था जिला परिषद है। 73वें संविधान संशोधन से पूर्व विभिन्न राज्यों में इस स्तर को भिन्न–भिन्न नामों से जाना जाता था। जैसे तमिलनाडु व कर्नाटक में जिला विकास परिषद, असम में महकमा परिषद, गुजरात में जिला पंचायत आदि।

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 में जिला परिषद के सम्बन्ध में प्रावधान रखे गए हैं। संविधान संशोधन के माध्यम से जिला परिषद को केवल एक नीति निर्माणक इकाई माना गया है। उसे कार्यकारी दायित्व नहीं दिए गए है। संविधान संशोधन से पूर्व महाराष्ट्र एवं गुजरात को छोड़कर सभी राज्यों में जिला परिषद को नीति निर्माण इकाई बनाया गया था। महाराष्ट्र व गुजरात में जिला परिषद को मुख्य कार्यकारी इकाई बनाया गया था लेकिन संविधान संशोधन के पश्चात् इन राज्यों में भी परिवर्तन करके जिला परिषद को केवल नीति निर्माण इकाई तक सीमित रखा गया है।

संगठन

73वें संविधान संशोधन के पश्चात् सभी राज्यों में जिला परिषद की संगठनात्मक व्यवस्था में एकरूपता लायी गयी है। जिला परिषद की संगठनात्मक व्यवस्था को निम्न लिखित रेखाचित्र द्वारा दर्शाया जा सकता है :

जिला परिषद – संगठनात्मक व्यवस्था

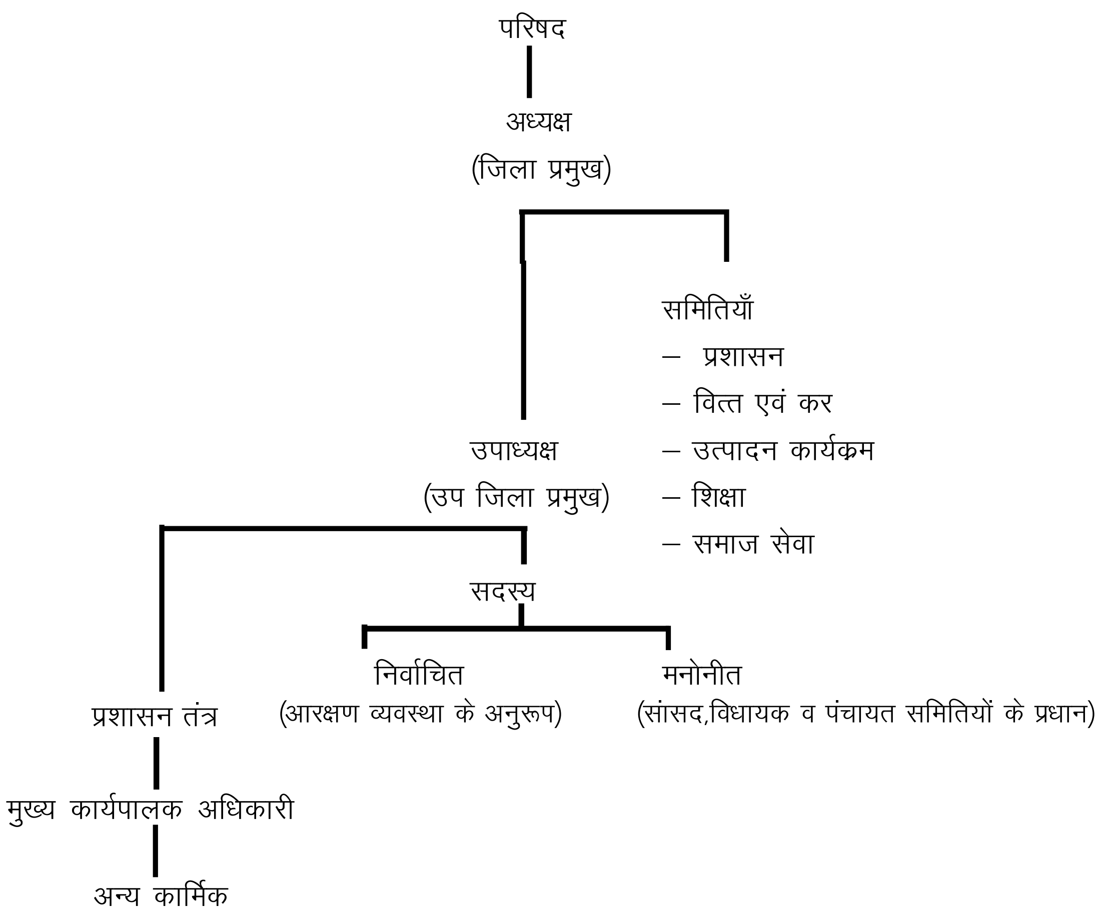

वर्तमान में जिला परिषद की संगठनात्मक व्यवस्था को निम्न लिखित शीर्षकों में समझा जा सकता है :

1. परिषद (Parishad)

जिला परिषद में सर्वोच्च स्तर पर एक परिषद होती है जिसमें निम्न लिखित सदस्य होते हैं :

(क) निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचित सदस्य,

(ख) जिला परिषद क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले लोकसभा व राज्य विधानसभा के सभी सदस्य,

(ग) जिला परिषद के क्षेत्र के अन्तर्गत निर्वाचकों के रूप में पंजीकृत राज्यसभा के सभी सदस्य, तथा

(घ) जिला परिषद क्षेत्र की सभी पंचायत समितियों के प्रधान।

राज्य सरकार जिला परिषद के लिए निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या निर्धारित करती है। सामान्यतः 4 लाख की जनसंख्यावाले परिषद क्षेत्र में 17 निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था की जाती है। 4 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जिले में 4 लाख से अधिक के प्रत्येक 1 लाख की जनसंख्या पर 2 सदस्यों की वृद्धि कर दी जाती है।

निर्वाचन के लिए स्थानों के आरक्षण की व्यवस्था 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुरूप की गयी है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग एवं महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित किये गये हैं। महिलाओं के लिए कुल निर्वाचित होने वाले स्थानों के एक–तिहाई स्थान और अन्य वर्गों के लिए उनकी जनसंख्या के आधार पर स्थान आरक्षित किये जाते हैं। इसी प्रकार जिला परिषद के अध्यक्ष के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था की गई है। आरक्षित स्थान चक्रानुक्रम के आधार पर आवंटित किये जाते हैं। राजस्थान में वर्ष 2010 में हुए पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनावों में इन संस्थाओं में 50 प्रतिशत पद समस्त वर्गो के सभी स्तर पर महिलाओं के लिए आरक्षित किये गये हैं।

परिषद का कार्यकाल पांच वर्ष निर्धारित किया गया है। सदस्यों की योग्यता के लिए भी अधिनियम में प्रावधान किये गये हैं। वही योग्यताएॅ अन्य पंचायती राज संस्थाओं अर्थात् पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत के सदस्यों के निर्वाचन के लिए भी निर्धारित की गई हैं। ये योग्यताएॅ निम्न लिखित प्रकार हैं :

(i) 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो,

(ii) किसी स्थानीय संस्था में वैतनिक कर्मचारी न हो,

(iii) राज्य सरकार की सेवा से उसे हटाया न गया हो,

(iv) राज्य सरकार के किसी विभाग का कर्मचारी न हो,

(v) किसी भी पंचायती राज संस्था में कोई अंश या स्वामित्व न रखता हो,

(vi) किसी ऐसे शारीरिक या मानसिक रोग से ग्रसित न हो जो कि कार्यों को बाधित करे,

(vii) किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा दण्डित न हो,

(viii) उसका किसी प्रकार का शुल्क या फीस बकाया न हो,

(ix) संबंधित पंचायती राज संस्था की ओर से या उसके विरूद्ध विधि व्यवसाय के रूप में नियोजित न हो,

(x) मृत्युभोज निवारण अधिनियम के अधीन दोषी न ठहराया गया हो,

(xi) उसके दो से अधिक बच्चे न हों, तथा

(xii) किसी अन्य पंचायती राज संस्था का सदस्य न हो।

उपर्युक्त वर्णित योग्यताओं के आधार पर सदस्यों का निर्वाचन होता है। ये निर्वाचित सदस्य परिषद का निर्माण करते हैं। परिषद का एक अध्यक्ष एवं एक उपाध्यक्ष निर्वाचित सदस्यों में से निर्वाचित सदस्यों द्वारा चयनित किया जाता है। अध्यक्ष को जिला प्रमुख व उपाध्यक्ष को उप जिला प्रमुख कहा जाता है।

जिला प्रमुख जिला परिषद का मुखिया होता है जो परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है तथा आंतरिक प्रशासन पर नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण रखता है। जिला प्रमुख की अनुपस्थिति में उप जिला प्रमुख उसकी शक्तियों का प्रयोग करता है।

जिला प्रमुख की शक्तियाँ एवं कार्य (Powers and functions of Zila Pramukh)

नवीन पंचायती राज अधिनियम, 1994 में जिला परिषद के जिला प्रमुख की शक्तियों एवं कार्यों के संबंध में प्रावधान किये

गये जो निम्न लिखित प्रकार हैं :

1. जिला परिषद की सम्पूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था पर पर्यवेक्षण व नियंत्रण रखना,
2. जिला परिषद की बैठकों को आमंत्रित करना, उनकी अध्यक्षता करना एवं संचालन करना,
3. जिला परिषद के वित्तीय प्रशासन को नियंत्रित एवं पर्यवेक्षित करना,
4. जिले में प्राकृतिक विपदाओं के समय सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वित्तीय स्वीकृति देना तथा प्रशासनिक व्यवस्था करना,
5. जिले में विकास को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों एवं योजनाओं का निर्माण करके उन्हें संचालित करना,
6. वर्ष 1999 में राज्य सरकार ने जिला प्रमुख के दायित्वों में वृद्धि करते हुए, यह अधिसूचना जारी की थी कि जिला प्रमुख जिला विकास अभिकरण के कार्यों को भी देखेगा। वर्ष 2002 में इसी प्रावधान में और संशोधन किया गया तथा जिला ग्रामीण विकास अभिकरण को जिला परिषद का अंग ही बना दिया गया। इस प्रकार जिले में ग्रामीण विकास की योजनाओं को संचालित करने का दायित्व भी जिला प्रमुख को सौंपा गया,
7. इसी संशोधन अधिनियम में जिला प्रमुख को जिले की सभी पंचायती राज संस्थाओं पर नियंत्रण व पर्यवेक्षण रखने का अधिकार दिया गया है,
8. अन्य कार्य जो अधिनियम में समय–समय पर सम्मिलित किये जाते हैं।

परिषद की बैठकें, गणपूर्ति एवं प्रक्रिया (Meetings of Parishad Quorum and Procedure)

अधिनियम यह प्रावधान करता है कि जिला परिषद की बैठकें तीन माह में एक बार आयोजित की जाएगी। ये बैठकें जिला परिषद के मुख्यालय पर आयोजित की जाती हैं। निर्वाचन के पश्चात् प्रथम बैठक मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा आमंत्रित की जाती है तथा इस बैठक की अध्यक्षता भी मुख्य कार्यपालक अधिकारी करता है। शेष सभी बैठकें जिला प्रमुख द्वारा आमंत्रित की जाती हैं तथा उनकी अध्यक्षता जिला प्रमुख द्वारा ही की जाती है। अधिनियम में यह प्रावधान भी किया गया है कि विशिष्ट परिस्थितियों में यदि जिला प्रमुख उचित समझे तो विशिष्ट बैठक भी आमंत्रित कर सकता है। किन्तु, ऐसी बैठक जिला परिषद के एक–तिहाई सदस्यों के लिखित रूप से अपेक्षा किये जाने पर ही आमंत्रित की जा सकती है।

अधिनियम में जिला परिषद की बैठक के लिए गणपूर्ति, सदस्यों की कुल संख्या के एक–तिहाई सदस्य निर्धारित की गयी है। बैठक के लिए निश्चित समय से आधे घण्टे तक यदि गणपूर्ति नहीं होती है तो अध्यक्ष उस बैठक को स्थगित करके आगामी बैठक का समय निश्चित कर देता है जिसकी सूचना सूचनापट्ट पर लगा दी जाती है। गणपूर्ति के अभाव में स्थगित बैठक के पश्चात् होने वाली बैठक में गणपूर्ति पर विचार नहीं किया जाता। बैठक की अध्यक्षता जिला प्रमुख द्वारा की जाती है, यदि वह अनुपस्थित होता है तो उप जिला प्रमुख अध्यक्षता करता है और यदि दोनों ही अनुपस्थित होते हैं तो उपस्थित सदस्य अपने सदस्यों में से ही अध्यक्षता के लिए एक सदस्य का चयन करते हैं। लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि चयनित सदस्य को हिन्दी लिखने एवं पढ़ने का ज्ञान हो।

बैठक में विचार–विमर्श करने वाले विषयों का पूर्व निर्धारण कर लिया जाता है तथा सभी निर्णय बहुमत से लिए जाते हैं। अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। अधिनियम में यह प्रावधान रखा गया है कि बैठक में विचार किये जाने वाले विषयों से यदि प्रमुख, उप प्रमुख या किसी सदस्य का हित जुड़ा हो तो ऐसा व्यक्ति विचार–विमर्श में भाग नहीं ले सकता एवं न ही उसे निर्णय के लिए मत देने का अधिकार होता है। इस स्थिति के निर्धारण का दायित्व जिला परिषद के मुख्य कार्यपालक अधिकारी का होता है। बैठक की समस्त कार्यवाहियों को लिखा जाता है जिसका दायित्व भी मुख्य कार्यपालक अधिकारी का होता है। बैठक में लिए गए निर्णयों को संबंधित व्यक्ति या संस्था तक पहुंचाने का दायित्व भी मुख्य कार्यपालक अधिकारी का ही होता है।

2. समितियाँ (Committees)

नवीन पंचायती राज अधिनियम, 1994 में यह प्रावधान रखा गया है कि प्रत्येक जिला परिषद अपने कार्यों के संचालन के लिए कुछ समितियों का गठन करेगी। अधिनियम में ऐसी पांच समितियों के संबंध में प्रावधान रखे गये हैं। ये पांच समितियां निम्न लिखित प्रकार हैं :

(i) प्रशासन एवं स्थापन

(ii) वित्त एवं कर

(iii) उत्पादन

(iv) शिक्षा

(v) समाज सेवा

इन समितियों को स्थायी समितियाँ भी कहा जाता है क्योंकि इन समितियों के संबंध में प्रावधान अधिनियम में किये गये हैं तथा ये समितियाँ जिला परिषद के सम्पूर्ण कार्यकाल तक कार्य करती हैं। प्रत्येक समिति में पांच सदस्य होते हैं जिनका चयन जिला परिषद के निर्वाचित सदस्यों में से किया जाता है। यदि जिला प्रमुख किसी समिति का सदस्य होता हैतो वह स्वतः ही समिति का अध्यक्ष हो जाता है और यदि किसी समिति का सदस्य उप जिला प्रमुख है और जिला प्रमुख सदस्य नहीं है तो ऐसी स्थिति में उप जिला प्रमुख समिति का अध्यक्ष होता है और यदि जिला प्रमुख व उप जिला प्रमुख दोनोंही समिति के सदस्य नहीं हैं तो समिति के सदस्य अपने में से एक का अध्यक्ष के रूप में चयन करते हैं।

ये समितियां अपने विषय से संबंधित मामलों पर विचार–विमर्श करके एक प्रतिवेदन तैयार करती हैं जिसे वह परिषद की बैठक में प्रस्तुत करती है। बैठक में समिति के सुझावों पर विचार–विमर्श किया जाता है तथा निर्णय लिया जाता है। सामान्यतः समिति के सुझावों को स्वीकार कर लिया जाता है।

उपर्युक्त स्थायी समितियों के अतिरिक्त आवश्यकता होने पर जिला परिषद किसी विशिष्ट कार्य के लिए अन्य समितियों का गठन भी कर सकती है लेकिन ऐसी समितियाँ कार्य समाप्ति के पश्चात् स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं इसलिए इन समितियों को अस्थायी समितियाँ कहा जाता है।

3. आंतरिक प्रशासन (Internal administration)

जिला परिषद के कार्यों को संचालित करने के लिए जिला परिषद में आंतरिक प्रशासनिक व्यवस्था का गठन कियाया है अर्थात् इसका एक कार्यालय होता है जिसका मुख्य अधिकारी मुख्य कार्यपालक अधिकारी के नाम से जाना जाता है। इस पद पराज्य सरकार द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। यह पदाधिकारी निम्नलिखित कार्यों कोकरने के लिए उत्तरदायी होता है :

(i) जिला परिषद की नीतियों–निर्णयों एवं आदेशों को क्रियान्वित करना,

(ii) अधिनियम के अन्तर्गत दिये गये कार्यों को निष्पादित करना,

(iii) जिला परिषद के अधिकारियों व कर्मचारियों पर नियंत्रण व पर्यवेक्षण रखना,

(iv) जिला परिषद के सभी दस्तावेजों की अभिरक्षा करना,

(v) जिला परिषद के कोष को संग्रहीत करना एवं निर्धारित नियमों के अन्तर्गत धन को व्यय करने के लिए कोष में से धन निकालना,

(vi) जिला परिषद की स्थायी समितियों की बैठक की सूचना जारी करना तथा स्वयं बैठक में उपस्थित रहना,

(vii) जिले की पंचायती राज संस्थाओं की सम्पत्तियों का निरीक्षण करना, तथा

(viii) आपातकालीन परिस्थितियों में इस अधिकारी को आदेश जारी करने के विशिष्ट अधिकार प्राप्त होते हैं।

जिला परिषद के अन्य अधिकारी व कर्मचारी (Personnel of Zila Parishad)

मुख्य कार्यपालक अधिकारी की सहायता के लिए जिला परिषद में राज्य सरकार द्वारा अन्य अधिकारी व कर्मचारी भी नियुक्त किये जाते हैं जिनमें से प्रमुख रूप से एक मुख्य लेखाधिकारी होता है। यह अधिकारी वित्तीय कार्यों को निष्पादित करता है। जिला परिषद में राज्य सरकार द्वारा उप जिला शिक्षा अधिकारी भी नियुक्त किया जाता है जो जिले में पंचायती राज संस्थाओं द्वारा संचालित प्राथमिक शिक्षा केन्द्रों पर पर्यवेक्षण रखता है। इसके अतिरिक्त जिला परिषद में अन्य कर्मचारी भी नियुक्त किये जाते हैं जिनमें प्रमुखतः सहायक सचिव, सहायक अभियन्ता, लेखाकार, कार्यालय सहायक, लिपिक, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी आदि हैं।

जिला परिषद के कार्य (Functions of Zila Parishad)

73वें संविधान संशोधन अधिनियम एवं राजस्थान के नवीन पंचायतीराज अधिनियम में जिला परिषद को नीति निर्माण करने वाली इकाई माना है अर्थात् जिला परिषद को क्रियान्वयन संबंधी दायित्व नहीं दिये गये हैं। जिला परिषद के कार्यों को निम्नलिखित शीर्षकों के अन्तर्गत समझा जा सकता है :

(1) सामान्य कार्य (General Functions)

सामान्य कार्य के अन्तर्गत जिले के आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए जिला परिषद योजनाओं का निर्माण करती है तथा उन योजनाओं के क्रियान्वयन को भी सुनिश्चित करती है।

(2) कृषि से संबंधित कार्य (Functions related to Agriculture)

जिले में कृषि के विकास के लिए एवं कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु जिला परिषद विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित नीतियों एवं योजनाओं का निर्माण करती है एवं उसके क्रियान्वयन पर पर्यवेक्षण रखती है। सामान्यतः कृषि उत्पादन, कृषि उपकरण, कृषि पद्धति, कृषकों को प्रशिक्षण, भूमि सुधार, भू–संरक्षण आदि विषयों के सम्बन्ध में जिला परिषद नीति निर्माण का कार्य करती है।

(3) सिंचाई सम्बन्धी कार्य (Functions related to Irrigation)

ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था करने के लिए विभिन्न नीतियाँ एवं कार्यक्रम जिला परिषद द्वारा बनाये जाते हैं। जल स्रोतों के विकास के लिए विभिन्न योजनाएँ निर्मित की जाती हैं। इसके साथ–साथ सिंचाई सुविधाओं के रखरखाव के लिए विभिन्न नीतियॉ निर्धारित की जाती हैं।

(4) सांख्यिकी सम्बन्धी कार्य (Functions related to statistics)

सरकार के प्रत्येक स्तर पर विभिन्न नीतियों, योजनाओं व कार्यक्रमों के निर्धारण के लिए विभिन्न सूचनाओं एवं आंकड़ों की आवश्यकता होती है। प्रत्येक जिले में पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित आंकड़ों व सूचनाओं को एकत्रित व प्रकाशित करने का दायित्व जिला परिषद का ही होता है।

(5) बागवानी सम्बन्धी कार्य (Functions related to Gardening)

जिला परिषद द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में पार्क व उद्यान लगाने के लिए समय–समय पर विभिन्न नीतियों का निर्माण किया जाता है। इस कार्य हेतु जिला परिषद वन विभाग से निरन्तर सम्पर्क बनाये रखती है, इसके अतिरिक्त जिला परिषद उद्यानों के विकास के लिए विभिन्न संस्थाओं को प्रोत्साहित भी करती है।

(6) ग्रामीण विद्युतीकरण (Rural Electrification)

राज्य सरकार के ऊर्जा विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत की व्यवस्था के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण नामक योजना संचालित की जाती है। इस योजना के क्रियान्वयन के मूल्यांकन का दायित्व जिला परिषद का ही होता है।

(7) भूमि संबंधी कार्य (Land Improvement)

ग्रामीण क्षेत्रों में आय का प्रमुख साधन कृषि होता है। कृषि उत्पादन भूमि की स्थिति अर्थात् मिट्टीकी उर्वरता पर निर्भर करता है। इस हेतु जिला परिषद का यह उत्तरदायित्व होता है कि वह भूमि की मिट्टी के विकास हेतु कार्यक्रम व नीतियॉ निर्धारित करे। सामान्यतः जिला परिषद मिट्टी संरक्षण कार्यक्रम एवं मिट्टी परीक्षण कार्यक्रम संचालित करती है।

(8) लघु उद्योगों से संबंधित कार्य (Functions related to small Scale Industries)

ग्रामीण क्षेत्रों में लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास के लिए जिला परिषद विभिन्न नीतियों का निर्धारण करती है तथा उसी के अनुरूप प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किये जाते हैं। लघु उद्योगों को प्रारम्भ करने के लिए जिला परिषद ऋण दिलवाने की व्यवस्था भी करती है।

(9) निर्माण सम्बन्धी कार्य (Constructions)

पंचायती राज संस्थाओं द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न भवनों एवं सड़कों का निर्माण किया जाता है। इनके निर्माण के लिए स्वीकृति जिला परिषद द्वारा ही दी जाती है। इसके अतिरिक्त निर्माण संबंधी एवं रखरखाव संबंधी नियमों का निर्माण भी जिला परिषद द्वारा किया जाता है।

(10) स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्य (Health)

ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने की दृष्टि से जिला परिषद विभिन्न योजनाओं का निर्माण करती है जिसके आधार पर ही स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना की जाती है। केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा निर्मित स्वास्थ्य कार्यक्रमों को जिले में क्रियान्वित करवाने का दायित्व जिला परिषद का ही होता है।

जिला परिषद के उपर्युक्त कार्य कुछ प्रमुख कार्यों को ही दर्शाते हैं। इसके अतिरिक्त भी जिला परिषद पर अन्य अनेक कार्यों को निष्पादित करने के लिए उत्तरदायित्व होता है जिनमें से प्रमुख निम्न लिखित हैं :

(i) ग्रामीण क्षेत्रों में आवास की सुविधाओं के विकास के लिए नीतियाँ बनाना।

(ii) ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के विकास के लिए कार्यरत शिक्षण संस्थाओं पर पर्यवेक्षण रखना।

(iii) समाज कल्याण कार्यक्रमों के क्रियान्वयन का मूल्यांकन करना।

(iv) ग्रामीण क्षेत्रों में समाज सुधार के लिए की जाने वाली विभिन्न क्रियाओं पर नियंत्रण रखना तथा उनके क्रियान्वयन के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाना।

(v) आपातकालीन परिस्थितियों में सहायता कार्य के लिए जिले की पंचायती राज संस्थाओं को आवश्यक दिशा–निर्देश जारी करना।

उपर्युक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि जिला परिषद पंचायती राज की सर्वोच्च इकाई है जो कि ग्रामीण प्रशासन की विभिन्न नीतियों व योजनाओं के निर्माण व उनके क्रियान्वयन पर पर्यवेक्षण रखती है।

पंचायत समिति (Panchyat Samiti)

भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया है। इस व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण स्तर पंचायत समिति को माना जाता है। सम्पूर्ण जिले को कुछ खण्डों में विभक्त किया जाता है एवं प्रत्येक खण्ड स्तर पर पंचायतसमिति की स्थापना की जाती है। वर्तमान में राजस्थान में कुल 237 पंचायत समितियॉं हैं। यह योजनाओं एवं कार्यक्रमों को अपने क्षेत्र में क्रियान्वित करती है। राजस्थान राज्य के सन्दर्भ में पंचायत समिति की संरचना एवं कार्यों का विवरण निम्नप्रकार है:

संरचना (Structure)

राजस्थान में पंचायत समिति की संरचना का निर्धारण नवीन पंचायती राज अधिनियम, 1994 के अन्तर्गत किया गया है। इस अधिनियम में समय–समय पर संशोधन भी किये गये। वर्तमान में पंचायत समिति की संरचना को निम्न लिखित रेखाचित्र के माध्यम से दर्शाया जा सकता है :–

पंचायत समिति संरचना

(राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (संशोधित 1999, 2000 के अन्तर्गत)

परिषद
- स्थायी समितियाँ
  - प्रशासन व स्थापन
  - वित्त एवं कर
  - उत्पादन
  - शिक्षा
  - समाज सेवा
- प्रधान
  - उप–प्रधान
    - सदस्य
      - निर्वाचित सदस्य (आरक्षण व्यवस्था के अनुरूप)
      - मनोनीत
        - क्षेत्रीय सांसद
        - क्षेत्रीय विधायक
        - ग्राम पंचायतों के सरपंच
- आन्तरिक प्रशासन
  - खण्ड विकास अधिकारी (B.D.O.)
    - प्रसार अधिकारी
    - अन्य कार्मिक

उपर्युक्त रेखाचित्र के आधार पर पंचायत समिति की संरचनात्मक व्यवस्था को निम्न शीर्षकों में समझा जा सकता है :

परिषद (Parishad)

प्रत्येक पंचायत समिति में सर्वोच्च स्तर पर एक परिषद होती है जिसमें दो प्रकार के सदस्य होते हैं :

(1) निर्वाचित सदस्य (Elected Members)

अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक पंचायत समिति क्षेत्र को कुछ वार्डों में विभक्त किया जाता है। प्रत्येक वार्ड से एक सदस्य जनता द्वारा निर्वाचित होता है। अधिनियम में यह प्रावधान किया गया है कि एक लाख तक की जनसंख्या वाले पंचायत समिति क्षेत्र में पन्द्रह वार्ड बनाये जायेंगे। एक लाख से अधिक जनसंख्या की स्थिति में प्रत्येक पन्द्रह हजार की जनसंख्या पर दो सदस्यों की वृद्धि कर दी जाये। पंचायत समिति में परिषद के सदस्यों के चुनाव के लिए महिलाओं को एक–तिहाई स्थान आरक्षित किये जाने के अलावा अनुसूचित जाति व जनजाति को उनकी जनसंख्या के अनुपात में और ओ. बी.सी. को 21 प्रतिशत सीटों का आरक्षण किया गया है। आरक्षण की इस व्यवस्था को चक्रानुक्रम से लागू किया जाता है। वर्ष 2010 से राजस्थान में महिलाओं का सभी पदों पर 50 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है।

पंचायत समिति के कार्य संचालन के लिए निर्वाचित सदस्यों में से दो पदाधिकारी निर्वाचित किये जाते हैं। इमें पंचायत समिति के अध्यक्ष को प्रधान कहा जाता है एवं उपाध्यक्ष को उप प्रधान कहा जाता है। पंचायत समिति का प्रधानपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है एवं सम्पूर्ण प्रशासनिक तंत्र पर नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण रखता है। इस पद पर भी आरक्षण चक्रानुक्रम पद्धति से किया गया है।

अधिनियम में प्रधान, उप–प्रधान एवं निर्वाचित सदस्यों को पद से हटाने संबंधी प्रावधान भी किये गये हैं। यदि कोई सदस्य या पदाधिकारी त्यागपत्र दे देता है तो वह पद से हट सकता है। अधिनियम में अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया का भी उल्लेख किया गया है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार को भी यह अधिकार है कि वह किसी भी सदस्य या पदाधिकारी को निलम्बित कर सकती है।

पंचायत समिति की परिषद नीतियों का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी होती है। सभी निर्णय पंचायत समिति की परिषद की बैठक में लिए जाते हैं। बैठक के संबंध में अधिनियम में यह प्रावधान किया गया है कि एक माह में एक बार पंचायत समिति की बैठक होगी। प्रथम बैठक जिलाधीश द्वारा आमंत्रित की जाती है। शेष सभी बैठकें पंचायत समिति के प्रधान द्वारा आयोजित की जाती हैं। इसके अतिरिक्त अधिनियम में यह प्रावधान भी किया गया है कि आवश्यकता होने पर एक तिहाई सदस्यों के लिखित अनुरोध पर विशेष बैठक भी आयोजित की जा सकती है। बैठक के लिए गणपूर्ति कुल संख्या की एक–तिहाई की उपस्थिति आवश्यक मानी गयी है। बैठकों में विषयों पर विचार–विमर्श होता है एवं सभी निर्णय बहुमत के आधार पर लिए जाते हैं।

(2) मनोनीत सदस्य (Nominated Members)

पंचायत समिति की परिषद में कुछ मनोनीत सदस्यों के संबंध में प्रावधान किये गये हैं। ये सभी मनोनीत सदस्य परिषद की बैठकों में उपस्थित रहते हैं तथा आवश्यक सुझाव देते हैं लेकिन इन्हें निर्णय लेते समय मत देने का अधिकार नहीं होता है। पंचायत समिति में इस श्रेणी के निम्न सदस्य होते हैं :

1. पंचायत समिति क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करने वाले संसद सदस्य।
2. पंचायत समिति क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करने वाले विधानसभा सदस्य।
3. पंचायत समिति क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली समस्त ग्राम पंचायतों के अध्यक्ष अर्थात् सरपंच।

समितियॉ (Committies)

पंचायती राज अधिनियम की धारा 56 में यह प्रावधान किया गया है कि पंचायत समिति अपने कार्यों का संचालन कुछ समितियों के माध्यम से करेगी। अधिनियम में निम्न पाँच समितियों के संबंध में प्रावधान किये गये हैं :

(1) प्रशासन एवं स्थापन (2) वित्त एवं कर (3) उत्पादन (4) शिक्षा

(5) समाज सेवा

प्रत्येक समिति में पाँच–पाँच सदस्य होते हैं जिनका चयन निर्वाचित सदस्यों में से निर्वाचित सदस्यों द्वारा ही किया जाता है। यदि किसी समिति का सदस्य प्रधान है तो वह स्वतः ही समिति का अध्यक्ष होता है और यदि किसी समिति का

सदस्य उप प्रधान है एवं प्रधान सदस्य नहीं है तो उप प्रधान समिति का अध्यक्ष होता है और यदि प्रधान और उप प्रधान दोनों ही सदस्य नहीं हैं तो समिति के सदस्य अपने ही सदस्यों में से एक का चयन अध्यक्ष के लिए करते हैं। सन् 2002 में अधिनियम में संशोधन कर सतर्कता समिति का प्रावधान भी किया गया है।

प्रत्येक समिति की समय पर बैठकें होती है जिनमें विभिन्न विषयों पर विचार–विमर्श किया जाता है। विचार विमर्श के पश्चात् समिति एक प्रतिवेदन तैयार करती है जिसे परिषद की बैठक में प्रस्तुत किया जाता है, सामान्यतः परिषद समिति के सुझावों को स्वीकार कर लेती है।

आंतरिक प्रशासन (Internal administraton)

पंचायत समिति के कार्यों को संचालित करने के लिए एक प्रशासनिक तंत्र विकसित किया गया है। पंचायत समिति के आंतरिक प्रशासन में विभिन्न अधिकारी व कर्मचारी कार्य करते हैं जिनमें दो प्रमुख का विवरण निम्न प्रकारहै :

(i) खण्ड विकास अधिकारी (Block Development Officer)

पंचायत समिति के आंतरिक प्रशासन के शीर्षस्थ प्रशासनिक अधिकारी को खण्ड विकास अधिकारी के नाम से जाना जाता है। खण्ड स्तर पर यह सबसे प्रमुख अधिकारी होता है।

राजस्थान राज्य में विकास अधिकारी के पद पर नियुक्ति के लिए दो प्रकार की व्यवस्थाएँ प्रचलित हैं। एक प्रकार की व्यवस्था में पंचायत समितियों के अनुभवी प्रसार अधिकारियों को पदोन्नत करके विकास अधिकारी के पद पर नियुक्त किया जाता है। दूसरी व्यवस्था के अन्तर्गत राजस्थान प्रशासनिक सेवा के नवनियुक्त अधिकारियों को प्रथम नियुक्ति विकास अधिकारी के पद पर की जाती है। इसके लिए राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को ग्रामीण प्रशासन से संबंधित सात दिन का विशिष्ट प्रशिक्षण दिया जाता है।

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 81 में विकास अधिकारी के जिन कार्यों का प्रावधान किया गया उन्हें दो शीर्षकों में समझा जा सकता है :

(1) सामान्यकालीन कार्यों और शक्तियॉ

(2) आपातकालीन कार्य और शक्तियॉ

(1) सामान्यकालीन कार्य और शक्तियाँ (General Functions and Power)

सामान्यकालीन परिस्थितियों में विकास अधिकारी जिन कार्यों को निष्पादित करता है उन्हें सामान्य कालीन कार्य कहा जाता है। इन कार्यों के संबंध में अधिनियम में प्रावधान किये गये हैं जिनमें से प्रमुख निम्न हैं :

(1) पंचायत समिति एवं उसकी स्थायी समितियों की बैठकों के संबंध में सूचना जारी करना,

(ii) पंचायत समिति की बैठकों में उपस्थित रहना तथा उनकी कार्यवाहियों को लिखना,

(iii) बैठकों में विचार विमर्श के समय अपने सुझाव प्रस्तुत करना,

(iv) पंचायत समिति के प्रधान के निर्देश पर पंचायत समिति कोष से धन निकलवाना,

(v) ग्राम सभा व वार्ड सभा की बैठकों के कार्यक्रम निर्धारित करना, उन्हें आमंत्रित करना एवं बैठकों में उपस्थित रहना,

(vi) पंचायत समिति के कार्यों का अनुमोदन करना,

(vii) पंचायत समिति के समस्त दस्तावेजों को प्रमाणित करना,

(viii) लेखा परीक्षण के प्रतिवेदन में दर्शायी गयी अनियमितताओं को दूर करने के लिए आवश्यक कदम उठाना,

(ix) पंचायत समिति के धन या सम्पत्ति के संबंध में गबन, चोरी या धोखाधड़ी के मामलों की सूचना उच्च अधिकारियों को देना,

(x) विकास कार्यों को संचालित करने के लिए स्वैच्छिक संगठनों को प्रोत्साहित करना एवं उनका सहयोग प्राप्त करना,

(xi) राज्य सरकार एवं जिला परिषद द्वारा मांगी गयी सूचनाओं को उपलब्ध करवाना,

(xii) पंचायत समिति के अधिकारियों व कर्मचारियों पर नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण रखना,

(xiii) पंचायत समिति की वित्तीय स्थिति का निरीक्षण करना,

(xiv) पंचायत समिति क्षेत्र की समस्त ग्राम पंचायतों पर पर्यवेक्षण रखना, तथा

(xv) अन्य ऐसे कार्य जो समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा या अधिनियम द्वारा उन्हें सौंपे जायें।

(2) आपातकालीन कार्य और शक्तियॉ (Functions and Powers in Emergency)

विकास अधिकारी पंचायत समिति क्षेत्र में आपातकालीन परिस्थितियों जैसे आग, बाढ़, महामारी आदि में किसी भी कार्य को करने के लिए आदेश दे सकता है। ऐसे आदेश देने के लिए परिषद की स्वीकृति आवश्यक नहीं होती। इन कार्यों को करने के लिए वह पंचायत समिति कोष से धन व्यय कर सकता है।

(ii) प्रसार अधिकारी व अन्य कर्मचारी (Extension Officers and other Employees)

पंचायत समिति के कार्य संचालन के लिए प्रशासनिक तंत्र में विकास अधिकारी के अधीन विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित प्रसार अधिकारी नियुक्त किये जाते हैं। प्रसार अधिकारियों की नियुक्ति राज्य सरकार के अन्य विभागों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर की जाती है। सामान्यतः ये प्रसार अधिकारी शिक्षा, सहकारिता, कृषि, पशुपालन, उद्योग आदि से संबंधित होते हैं। ये प्रसार अधिकारी अपने विषय क्षेत्र से संबंधित कार्यों का पर्यवेक्षण करते हैं तथा इन कार्यों का प्रसार भी करते हैं।

पंचायती राज अधिनियम, 1994 के द्वारा पंचायत समिति में कनिष्ठ अभियन्ता, कनिष्ठ लेखापाल, वरिष्ठ लिपिक, कनिष्ठ लिपिक व कतिपय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के नये पद सृजित किये गये हैं।

पंचायत समिति के दिन–प्रतिदिन के कार्यों को निष्पादित करने का दायित्व इन्हीं कार्मिकों का होता है। ये कार्मिक विकास अधिकारी एवं प्रसार अधिकारियों के निर्देशन में कार्य करते हैं। इन कार्मिकों की नियुक्ति भी राज्य सरकार द्वारा की जाती है।

पंचायत समिति के कार्य (Functions of Panchyat Samiti)

राजस्थान में पंचायत समिति निम्नांकित कार्यों का निष्पादन करती है :

1. सामान्य कार्य (General Functions)

पंचायत समिति जिला परिषद द्वारा निर्मित योजनाओं का क्रियान्वयन करके उसके संबंध में प्रतिवेदन तैयार कर ज़िला परिषद को प्रस्तुत करती है। इसके अतिरिक्त पंचायत समिति ग्राम पंचायतों के कार्यों पर नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण करती है।

2. कृषि संबंधी कार्य (Agriculture related Functions)

ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि के विकास हेतु विभिन्न योजनाओं व कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने का दायित्व पंचायत समिति का होता है। पंचायत समिति उन्नत किस्म के बीज, खाद व अन्य कृषि सामग्री को वितरित भी करती है। इसके अतिरिक्त कृषकों को प्रशिक्षित करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित करती है।

3. भूमि सुधार से संबंधित कार्य (Land Improvement)

पंचायत समिति भूमि सुधार संबंधी कार्यक्रमों एवं योजनाओं को क्रियान्वित करवाती है। इसके लिए समय–समय पर कृषि भूमि की मिट्टी का परीक्षण भी करवाया जाता है।

4. सिंचाई की व्यवस्था करवाना (Irrigation)

ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा के लिए पंचायत समिति द्वारा विभिन्न सिंचाई साधनों की व्यवस्था की जाती है। भूमिगत जल के उपयोग के लिए कुओं का निर्माण कराया जाता है।

5. औद्योगिक विकास (Industrial Development)

ग्रामीण क्षेत्रों में लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास के लिए पंचायत समिति विभिन्न लघु उद्योगों को प्रोत्साहित करती है जैसे पशुपालन, डेयरी, कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन, खादी उद्योग आदि।

6. सार्वजनिक सुविधाओं को उपलब्ध करवाना (Availability of Public Facilities)

प्रत्येक नागरिक की कुछ न्यूनतम आवश्कताएँ होती हैं। पंचायत समिति क्षेत्र में इन न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति

करने का दायित्व पंचायत समिति का ही होता है। इस हेतु पंचायत समिति आवास एवं पीने के पानी की व्यवस्था करती है। सड़कों, भवनों, जल मार्गों, संचार साधनों आदि का निर्माण एवं रखरखाव भी करती है।

7. सामाजिक विकास (Social Development)

समाज के पिछड़े व कमजोर वर्गों जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग, महिलाओं एवं बच्चों के विकास के लिए पंचायत समिति विभिन्न कार्यक्रमों व योजनाओं को क्रियान्वित करती है।

8. शिक्षा सम्बन्धी कार्य (Functions related to Education)

राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्रों में मिडिल स्तर तक की प्रारम्भिक शिक्षा के प्रबन्ध का दायित्व पंचायत समितियों को सौंपा गया है।

पंचायत समिति के उपर्युक्त कार्य केवल प्रमुख कार्य ही हैं। इसके अतिरिक्त भी पंचायत समिति सांस्कृतिक विकास संबंधी कार्य, परिवार कल्याण संबंधी कार्य, विभिन्न सांख्यिकी का संकलन आदि कार्यों का निष्पादन भी करतीहै।

ग्राम पंचायत (Gram Panchayat)

भारत में जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में तीसरा एवं धरातल स्तर **ग्राम पंचायत** के नाम से जाना जाता है। यह स्तर इसलिए महत्त्वपूर्ण माना गया है कि वास्तविक रूप में लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण का व्यावहारिक स्वरूप ग्राम पंचायत ही है। विभिन्न राज्यों में ग्राम पंचायत को भिन्न–भिन्न नामों से जाना जाता है। आन्ध्रप्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु में इस स्तर को केवल पंचायत नाम से जाना जाता है। असम, गुजरात व उत्तर प्रदेश में 'गांव पंचायत' व बिहार, मध्यप्रदेश, उड़ीसा, पंजाब एवं पश्चिम बंगाल में इसे 'ग्राम पंचायत' के नाम से जाना जाता है।

73वें संविधान संशोधन अधिनियम से पहले सम्पूर्ण देश में ग्राम पंचायत की संरचना एवं कार्यों में विभिन्नता पायी जाती थी लेकिन 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से सम्पूर्ण देश में पंचायतों की संरचना एवं कार्यों में एकरूपता लाने का प्रयास किया गया। सभी राज्यों ने संविधान संशोधन के अनुरूप पंचायतों की संरचना व कार्यों के निर्धारण के लिए अपने–अपने अधिनियम में संशोधन किया गया है।

ग्राम पंचायत की संरचना (Structure of Gram Panchayat)

राजस्थान में नवीन पंचायती राज अधिनियम, 1994 में पंचायत की संरचना के संबंध में प्रावधान किये हैं जिसमें 1999 व 2000 में संशोधन भी किये गये। वर्तमान में पंचायत की संरचना को निम्न रेखाचित्र के माध्यम से दर्शाया जा सकता है :–

ग्राम पंचायत : संरचना

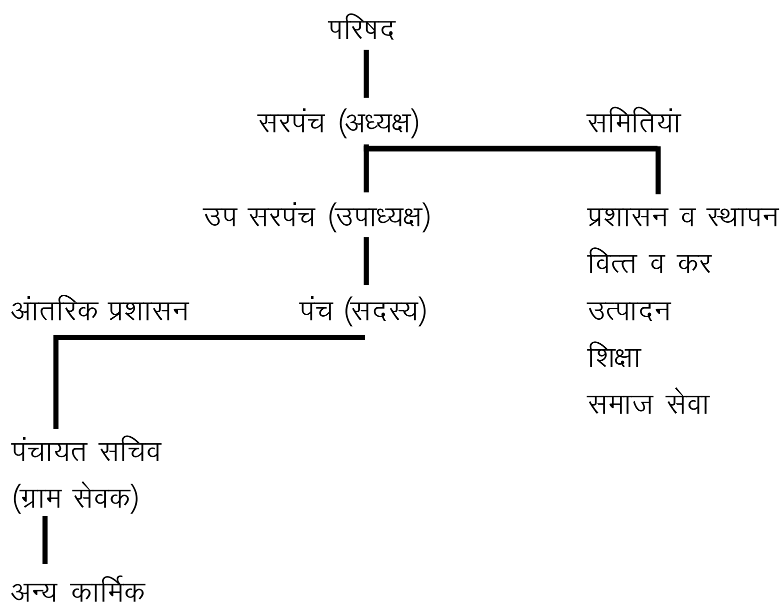

उपर्युक्त रेखाचित्र के माध्यम से ग्राम पंचायत की संगठनात्मक व्यवस्था स्पष्ट होती है जिसे निम्न शीर्षकों के माध्यम से समझा जा सकता है :

परिषद (Parishad)

ग्राम पंचायत में निर्वाचित सदस्यों की एक परिषद होती है। सदस्यों के निर्वाचन, कार्यकाल एवं आरक्षण संबंधी वही प्रावधान इसके लिए भी निर्धारित हैं जो अन्य पंचायती राज संस्था अर्थात् जिला परिषद व पंचायत समिति के लिए निर्धारित हैं।

निर्वाचित परिषद में एक अध्यक्ष होता है जिसे 'सरपंच' कहा जाता है। ग्राम पंचायत के अध्यक्ष अर्थात् सरपंच के निर्वाचन की प्रक्रिया अन्य पंचायती राज संस्थाओं के अध्यक्षों की निर्वाचन प्रक्रिया से भिन्न है। अन्य पंचायती राज संस्थाओं में निर्वाचित सदस्य ही अपने सदस्यों में से एक का चयन अध्यक्ष के लिए करते हैं जबकि ग्राम पंचायत में सरपंच का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा किया जाता है। ग्राम पंचायत में एक उप सरपंच भी होता है जिसका निर्वाचन निर्वाचित सदस्यों द्वारा ही निर्वाचित सदस्यों में से किया जाता है। सरपंच, उप सरपंच एवं सदस्यों को पद से हटाने संबंधी वही प्रावधान निर्धारित किये गये हैं जो अन्य संस्थाओं के लिए हैं।

सरपंच ग्राम पंचायत का अध्यक्ष होता है। इस दृष्टि से वह ग्राम पंचायत के कार्य संचालन के लिए उत्तरदायी होता है।

सरपंच की शक्तियाँ (Powers of Sarpanch)

सरपंच की शक्तियों व कार्यों के संबंध में प्रावधान अधिनियम में किये गये हैं। अधिनियम की धारा 32 के अनुसार सरपंच निम्न कार्यों को निष्पादित करता है :–

(i) पंचायत की बैठकों की अध्यक्षता करता है,

(ii) पंचायत की बैठकों को आमंत्रित करना तथा संचालन करना,

(iii) पंचायत की प्रशासनिक व्यवस्था पर नियंत्रण करना,

(iv) पंचायत की वित्तीय प्रशासन की व्यवस्था पर नियंत्रण व पर्यवेक्षण रखना,

(v) पंचायत के अभिलेखों की रक्षा करना,

(vi) पंचायत के कर्मचारियों पर नियंत्रण व पर्यवेक्षण रखना,

(vii) ग्राम सभा की बैठकों को आमंत्रित करना व अध्यक्षता करना, तथा

(viii) अन्य ऐसे कार्य जो समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा अधिनियम के माध्यम से उसे सौंपे जायें।

अधिनियम में उप सरपंच के कार्यों के संबंध में यह प्रावधान किया गया है कि वह सरपंच की अनुपस्थिति में सरपंच की सभी शक्तियों व कार्यों का प्रयोग करेगा।

स्थायी समितियाँ (Permanent Committies)

ग्राम पंचायत में भी कार्य संचालन हेतु समितियों का प्रावधान किया गया है। ये प्रावधान वही हैं जो जिला परिषद व पंचायत समितियों के सन्दर्भ में किए गए हैं।

आंतरिक प्रशासन (Internal Administration)

प्रशासनिक कार्यों को संचालित करने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर एक कार्यालय स्थापित किया गया है जिसके प्रमुख कर्मचारी को 'पंचायत सचिव' के नाम से जाना जाता है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम में यह भी प्रावधान किया गया है कि दो या तीन पंचायतों के लिए एक ही पंचायत सचिव नियुक्त किया जा सकता है। ऐसे पंचायत सचिव को 'समूह पंचायत सचिव' या 'ग्रुप सचिव' के नाम से जाना जाता है। पंचायत सचिव की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है।

पंचायत सचिव के कार्य (Functions of Panchayat Sachiv)

अधिनियम की धारा 37 में पंचायत सचिव के कार्यों के संबंध में यह प्रावधान किया गया है कि ''पंचायत सचिव सरपंच के नियंत्रण में रहते हुए निम्नलिखित कार्यों को निष्पादित करेगा'' :–

(i) पंचायत के अभिलेख अपनी रक्षा में रख्ना,

(ii) पंचायत कोष के लेखे निर्धारित करना,

(iii) पंचायत को प्राप्त होने वाली धनराशि के लिए अपने हस्ताक्षर से रसीदें जारी करना,

(iv) पंचायत कोष की रक्षा करना,

(v) पंचायत द्वारा किये गये कार्यों के संबंध में प्रतिवेदन तैयार करना, तथा

(vi) अन्य ऐसे कार्य करना जो समय–समय पर सरपंच व अधिनियम द्वारा सौंपे जायें।

बड़ी पंचायतों में आवश्यकतानुसार लेखाकार व लिपिक भी नियुक्त किये जा सकते हैं जिन्हें ग्राम पंचायत कोष से ही वेतन देय होता है।

ग्राम पंचायत के कार्य (Functions of Gram Panchayat)

पंचायती राज अधिनियम, 1994 में ग्राम पंचायत के कार्यों के संबंध में प्रावधान किये गये हैं। अधिनियम में एक अनुसूची के अन्तर्गत पंचायत के कार्यों का विवरण दिया गया है। इस अनुसूची को प्रथम अनुसूची कहा जाता है। अधिनियम के अनुसार पंचायत के कार्य निम्न लिखित हैं :

1. सामान्य कार्य (General Functions)

(i) पंचायत क्षेत्र के विकास के लिए योजनाओं का क्रियान्वयन करना,

(ii) पंचायत का वार्षिक बजट तैयार करना,

(iii) प्राकृतिक आपदाओं में सहायता पहुंचाना,

(iv) सार्वजनिक सम्पत्तियों पर से अतिक्रमण हटाना, तथा

(v) पंचायत क्षेत्र से संबंधित सांख्यिकी का आकलन करना।

2. प्रशासनिक कार्य (Administrative functions)

(i) जनगणना करना,

(ii) आवास स्थलों का संख्यांकन,

(iii) कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए कार्यक्रम तैयार करके जिला परिषद को प्रस्तुत करना,

(iv) विभिन्न कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक वित्त का अनुमान तैयार करना,

(v) सार्वजनिक स्थलों पर नियंत्रण रखना,

(vi) ऐसे मामलों को उच्च संस्थाओं तक पहुंचाना जिनके संबंध में पंचायत निर्णय लेने में सक्षम न हों,

(vii) पंचायत के अभिलेखों का संरक्षण रखना,

(viii) जन्म, मृत्यु एवं विवाह का पंजीकरण करना।

3. कृषि के क्षेत्र में (Agricultural functions)

(i) कृषि विकास के लिए ग्रामीण नागरिकों को प्रोत्साहित करना,

(ii) बंजर भूमियों का विकास करना, तथा

(iii) कृषि हेतु उन्नत खाद एवं बीज की व्यवस्था करना।

4. लघु उद्योगों से संबंधित कार्य (Small Scale Industries)

(i) विभिन्न लघु उद्योगों की स्थापना के लिए नागरिकों को प्रोत्साहित करना जैसे पशुपालन, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन और डेयरी, तथा

(ii) लघु उद्योगों से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना।

5. निर्माण संबंधी कार्य (related to Consruction)

(i) ग्रामीण क्षेत्र में सड़कों का निर्माण करना,

(ii) आवास स्थलों का निर्माण करना,

(iii) पीने के पानी की व्यवस्था के लिए जलाशयों एवं कुओं का निर्माण करना, तथा

(iv) जलमार्ग एवं अन्य संचार साधनों का निर्माण करना।

6. शिक्षा संबंधी कार्य (Educational functions)

(i) ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करना,

(ii) साक्षरता कार्यक्रमों को क्रियान्वित करना, तथा

(iii) प्रौढ़ एवं अनौपचारिक शिक्षा को प्रोत्साहित करना।

7. सामाजिक विकास संबंधी कार्य (Social Development)

(i) कमजोर एवं पिछड़े वर्गों के कल्याण के कार्यक्रमों को क्रियान्वित करना,

(ii) विकलांग एवं मन्दबुद्धि वालों के कल्याण के लिए कार्य करना, तथा

(iii) महिला एवं बाल विकास कार्यक्रमों को क्रियान्वित करना।

उपर्युक्त वर्णित कार्यों के अतिरिक्त अधिनियम में ग्राम पंचायत के अन्य कार्यों के संबंध में प्रावधान किये गये हैं जैसे ग्रामीण लोगों के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करना, प्रदर्शनियों एवं मेलों का आयोजन करना, सिंचाई की व्यवस्था करना, सरकारी सम्पत्तियों का रखरखाव आदि।

ग्राम पंचायत के संगठन व कार्यों के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि ग्राम पंचायत पंचायतयी राज की सबसे नीचे के स्तर की एक महत्त्वपूर्ण संस्था है। ग्रामीण विकास से संबंधित सभी कार्यों का संचालन इसी संस्था द्वारा किया जाता है। इस संस्था की संस्थापना का मुख्य उद्‌देश्य यह था कि प्रशासन में ग्रामीण क्षेत्रों की जनता की अधिक से अधिक सहभागिता सुनिश्चित की जावे। यही कारण है कि इस संस्था में समाज के सभी वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गयी है। इस स्तर पर भी आरक्षण के पूर्व वर्णित प्रावधान उसी रूप में लागू होते हैं।

ग्रामसभा (Gram Sabha)

किसी भी पंचायत क्षेत्र के वयस्क नागरिकों के समूह को ग्रामसभा कहा जाता है। भारत में लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण अपनाने की दृष्टि से त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के अतिरिक्त ग्रामसभा नामक संस्था का प्रावधान भी रखा गया है। ग्रामसभा की आवश्यकता एवं महत्त्व को देखते हुए 73वें संविधान संशोधन अधिनियम में ग्रामसभा के संबंध में प्रावधान किये गये हैं।

पंचायती राज अधिनियम, 1959 में यह प्रावधान किया गया था कि प्रत्येक ग्राम पंचायत अपने पंचायत क्षेत्र के समस्त वयस्क नागरिकों की एक सभा बुलायेगी। इसी व्यवस्था को ग्रामसभा के रूप में जाना जायेगा। संविधान संशोधन के पश्चात् राजस्थान राज्य में जो नया अधिनियम बनाया गया था उसमें ग्रामसभा के संबंध में विस्तृत प्रावधान किये गये हैं। वर्तमान में सम्पूर्ण देश में सभी राज्यों में ग्रामसभा का गठन किया गया है।

ग्रामसभा का संगठन (Composition of Gram Sabha)

ग्रामसभा का अध्यक्ष ग्राम पंचायत का अध्यक्ष अर्थात् सरपंच ही होता है। उस गांव में ऐसे समस्त वयस्क नागरिक जिनका नाम विधानसभा की मतदाता सूची में होता है, ग्रामसभा के सदस्य होते हैं। ग्रामसभा के कार्यों को लिखने के लिए

एक सचिव भी होता है जो कि ग्राम पंचायत का पंचायत सचिव ही होता है।

ग्राम सभा : संरचना

अध्यक्ष (सरपंच)

सदस्य

ग्राम के समस्त वयस्क नागरिक

ग्राम पंचायत के पंच

सदस्य सचिव

(ग्राम पंचायत का सचिव)

ग्रामसभा की बैठकें (Meetings of Gram Sabha)

राजस्थान में पंचायती राज अधिनियम, 1994 में ग्रामसभा की बैठकों के संबंध में यह प्रावधान रखा गया था कि ग्रामसभा की बैठकें वर्ष में दो बार आयोजित की जायेगी। प्रथम बैठक वित्तीय वर्ष के प्रथम त्रैमास में एवं दूसरी बैठक वित्तीय वर्ष के अन्तिम त्रैमास में आयोजित की जायेंगी। लेकिन वर्ष 2003 में इस स्थिति में परिवर्तन किया गया है तथा यह निर्धारित किया गया है कि ग्रामसभा की बैठकें वर्ष में चार बार आयोजित की जायेगी। बैठकों की तिथि निर्धारण का दायित्व अब संबंधित जिले के जिलाधीश को सौंपा गया है।

सामान्य बैठकों के अतिरिक्त यह प्रावधान भी किया गया है कि यदि 1/10 सदस्य लिखित रूप में अपेक्षा करें तो ग्रामसभा की विशिष्ट बैठक भी बुलाई जा सकती है। ग्रामसभा की बैठक के लिए गणपूर्ति 1/10 सदस्य निर्धारित की गयी है।

ग्रामसभा में बैठक की अध्यक्षता सरपंच द्वारा की जाती है। यदि सरपंच अनुपस्थित होता है तो उप सरपंच द्वारा अध्यक्षता की जाती है और यदि दोनों ही अनुपस्थित हों तो ग्रामसभा के सदस्य अपने ही सदस्यों में से किसी एक को अध्यक्ष के लिए निर्वाचित करते हैं। बैठक में विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श किया जाता है तथा आवश्यक निर्णय लिए जाते हैं। बैठक की कार्यवाही को पंचायत सचिव द्वारा लिखा जाता है तथा बैठक में लिए गए निर्णय को संबंधित संस्था या व्यक्ति तक पहुंचाने का दायित्व भी पंचायत सचिव का होता है।

वर्तमान में यह व्यवस्था की गयी है कि ग्रामसभा की बैठक में जिलाधीश द्वारा नाम निर्देशित व्यक्ति उपस्थित रहेगा लेकिन उसे विचार–विमर्श में भाग लेने का अधिकार नहीं होता। सामान्यतः खण्ड विकास अधिकारी या उसका प्रतिनिधि ग्रामसभा की बैठकों में उपस्थित रहता है।

ग्राम सभा के कार्य (Functions of Gram Sabha)

राजस्थान में ग्रामसभा के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं :

1. ग्राम पंचायत द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली विभिन्न योजनाओं व कार्यक्रमों का अनुमोदन,
2. वार्ड सभा द्वारा चयनित व्यक्तियों से लाभान्वित होने वाले व्यक्तियों की प्राथमिकता निर्धारित करना,
3. संबंधित वार्ड सभा से यह प्रमाण प्राप्त करना कि विभिन्न कार्यक्रमों के लिए उपलब्ध कराये गये वित्त का उचित तरीके से उपयोग कर लिया गया है,
4. विकास की योजनाएं बनाना व उन्हें अनुमोदित करना,
5. ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा को प्रोत्साहित करना,
6. समाज के सभी समुदायों के बीच एकता को बढ़ाना,
7. पंचायत द्वारा किये गये कार्यों का सरपंच से स्पष्टीकरण मांगना, तथा
8. ऐसे अन्य कार्य जो समय–समय पर अधिनियम के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा सौंपे जायें।

उपर्युक्त कार्यों के अतिरिक्त ग्रामसभा को अन्य अनेक क्षेत्रों में शक्तियाँ प्रदान की गयी हैं। विशेष रूप से अनुसूचित

जाति वाले क्षेत्रों की ग्रामसभाओं को विशेष शक्तियॉ व अधिकार दिये गये हैं। इसके लिए राज्य सरकार ने पृथक से एक अध्यादेश भी जारी किया है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि विकास से संबंधित किये जाने वाले कार्यों का मूल्यांकन करने का दायित्व भी ग्रामसभा को दिया गया है।

ग्राम सभा का मूल्यांकन (Evaluation of Gram Sabha)

भारत में स्वतंत्रता के पश्चात् ग्रामसभा की अवधारणा को कुछ राज्यों ने स्वीकार किया है। यद्यपि स्वतंत्रता केसमय न तो संविधान में एवं न ही राज्यों के अधिनियम में ग्रामसभा का प्रावधान था। किन्तु कुछ राज्यों मेंग्रामसभा का गठन किया गया था। जिन राज्यों में ग्रामसभाऍ गठित की गयी थी वहां वे सफल नहीं हो पायीं। अधिकांश विद्वानोका यह मत था कि संवैधानिक मान्यता के अभाव में ये सफल नहीं हो पाई। परिणामस्वरूप 73वें संविधान संशोधन के माध्यमसे ग्रामसभा को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गयी है तथा उसी के अनुरूप राज्यों ने अपने अधिनियम में ग्रामसभा को स्थानदिया।

संवैधानिक मान्यता मिलने के बावजूद भी ग्रामसभा एक निष्क्रिय संस्था के रूप में सामने आयी जिसके निम्नलिखित कारण हैं :

1. ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामसभा की बैठकों का उचित प्रचार–प्रसार नहीं किया जाता,
2. बैठकों का उपयुक्त समय निर्धारित नहीं किया गया अर्थात् ऐसे समय बैठकें आयोजित की जाती है जब कोई फसल का समय या कोई त्यौहार या पर्व होता है,
3. ग्रामसभा की बैठकों के संबंध में सरपंच उदासीन रहते हैं क्योंकि इन बैठकों में उनकी आलोचना का भय रहता है, तथा
4. ग्रामसभा का कार्यक्षेत्र भी अत्यधिक सीमित रहता है जो कि इसकी प्रभावी भूमिका में बाधक है।

उपर्युक्त कारणों को दूर करने के लिए विभिन्न विद्वानों ने सुझाव प्रस्तुत किये, जिसके अनुरूप राजस्थान राज्य में वर्ष 2003 में कुछ परिवर्तन किये हैं, जिनमें से प्रमुख निम्न है :

(i) ग्रामसभा की बैठकों का पर्याप्त प्रचार–प्रसार किया जाने लगा,

(ii) बैठकों का समय निर्धारित करने का दायित्व संबंधित जिले के जिलाधीश को सौंप दिया गया,

(iii) बैठकों का समय जनमत के आधार पर निर्धारित किया जाने लगा, तथा

(iv) ग्रामसभा के कार्यक्षेत्र को कुछ विस्तृत किया गया।

उपर्युक्त सुझावों को स्वीकार करने के पश्चात् भी ग्रामसभा की भूमिका उतनी प्रभावी नहीं बन पायी है, जितनी कि अपेक्षित थी, जिसका मुख्य कारण यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में शैक्षणिक व सामाजिक विकास अभी तक नहीं हो पाया है। अतः आवश्यकता इस बात की है कि ग्रामीण क्षेत्रों में शैक्षिक एवं सामाजिक विकास की दृष्टि से पर्याप्त प्रयास किये जायें तभी जाकर ग्रामसभा एक प्रभावी संस्था बन पायेगी।

महत्त्वपूर्ण बिन्दु

- भारत में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन के रूप में जो व्यवस्था अपनायी गयी है उसे पंचायती राज व्यवस्था कहा जाता है।
- पंचायती राज व्यवस्था बलवंत राय मेहता समिति के प्रतिवेदन के आधार पर स्थापित की गयी है।
- पंचायती राज व्यवस्था में सुधार हेतु भारत में स्वतंत्रता के पश्चात् अनेक प्रयास किए गए।
- पंचायती राज व्यवस्था अर्थात् ग्रामीण स्वशासन को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने के उद्देश्य से 1992 में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया।
- 73वें संविधान संशोधन में पंचायती राज की संस्थाओं की संरचना, कार्यों एवं अन्य मामलों के सम्बन्ध में प्रावधान किए गए हैं।
- पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय व्यवस्था है। जिला स्तर पर जिला परिषद, खण्ड स्तर पर पंचायत समिति और ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत।
- संविधान संशोधन में एक और स्तर के संबंध में प्रावधान रखे गए हैं जिसे ग्रामसभा के नाम से जाना जाता है।
- पंचायती राज व्यवस्था की सर्वोच्च इकाई जिला परिषद होती है जो नीति निर्माण करने वाली इकाई है जिसमें निर्वाचित परिषद होती है। परिषद के मुखिया को जिला प्रमुख कहा जाता है।

- खण्ड स्तर पर पंचायत समिति पंचायती राज व्यवस्था की प्रमुख कार्यकारी इकाई होती है जिसमें भी निर्वाचित परिषद होती है जिसके मुखिया को प्रधान कहा जाता है। प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी को खण्ड विकास अधिकारी (बी. डी. ओ.) कहा जाता है।
- त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का तीसरा स्तर ग्राम पंचायत है। ग्राम पंचायत की एक परिषद होती है जिसका मुखिया सरपंच के नाम से जाना जाता है।
- पंचायती राज व्यवस्था के तीनों स्तरों में कार्यों के निष्पादन के लिए समितियां गठित की जाती है।
- ग्राम सभा प्रत्येक गांव में होती है जिसमें गांव के सभी वयस्क नागरिक सदस्य होते हैं। यह ग्राम पंचायत के कार्यों की समीक्षा करने के लिए उत्तरदायी होती है।
- पंचायती राज व्यवस्था की तीनों स्तरों की संस्था का मुख्य कार्य ग्रामीण विकास करना होता है।
- पंचायती राज व्यवस्था के तीनों स्तर के कार्यों का विवरण संविधान में 11वीं अनुसूची में किया गया है।

अभ्यासार्थ प्रश्न

बहुचयनात्मक प्रश्न

1. भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रारम्भ में पंचायतों के संबंध में प्रावधान किये गये थे ?

   (अ) अनुच्छेद 32 (ब) अनुच्छेद 40

   (स) अनुच्छेद 42 (द) अनुच्छेद 44 ( )

2. भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारम्भ किया गया।

   (अ) 1950 (ब) 1952

   (स) 1958 (द) 1962 ( )

3. बलवन्त राय मेहता समिति ने अपना प्रतिवेदन किस वर्ष प्रस्तुत किया था ?

   (अ) 1950 (ब) 1952

   (स) 1958 (द) 1962 ( )

4. 73वां संविधान संशोधन कब से प्रवर्तित हुआ ?

   (अ) 24 अप्रेल, 1993 (ब) 01 जून, 1993

   (स) 24 जून, 1993 (द) 01 अप्रेल, 1993 ( )

5. राजस्थान में पूर्व प्रचलित पंचायती राज अधिनियमों में कब संशोधन किया गया ?

   (अ) 1993 (ब) 1996

   (स) 1994 (द) 1995 ( )

6. गुजरात में जिला परिषद को किस नाम से जाना जाता है ?

   (अ) महकमा परिषद (ब) जिला पंचायत

   (स) जिला विकास परिषद (द) जिला परिषद ( )

7. वर्तमान में राजस्थान में कितनी पंचायत समितियां हैं ?

   (अ) 236 (ब) 235

   (स) 237 (द) 232 ( )

8. ग्राम पंचायत की परिषद के मुखिया को किस नाम से जाना जाता है ?

   (अ) प्रधान (ब) सरपंच

(स) ग्राम प्रमुख (द) ग्रामसेवक ( )

अति लघुत्तरात्मक प्रश्न

1. भारत में ग्रामीण स्वशासन के रूप में किस व्यवस्था को अपनाया गया है ?
2. सर्वप्रथम किस राज्य ने पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया ?
3. जिला परिषद के प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी को किस नाम से जाना जाता है ?
4. त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में मुख्य कार्यकारी स्तर कौनसा है ?
5. ग्राम पंचायत के कार्यालय के प्रमुख कर्मचारी को किस नाम से जाना जाता है ?
6. ग्रामसभा की वर्ष में कितनी बार बैठकें होने का प्रावधान है ?

लघुत्तरात्मक प्रश्न

1. भारत में पंचायती राज व्यवस्था की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
2. 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों को संक्षेप में बताइए।
3. ग्रामसभा की भूमिका का मूल्यांकन संक्षेप में कीजिए।
4. पंचायत समिति में विकास अधिकारी की भूमिका पर टिप्पणी लिखिए।

निबन्धात्मक प्रश्न

1. जिला परिषद के संगठन व कार्यों को समझाइए।
2. पंचायत समिति के संगठन व कार्यों की विवेचना कीजिए।
3. ग्राम पंचायत के संगठन व कार्यों का विश्लेषण कीजिए।

उत्तरमाला

1.ब 2. ब 3. स 4. अ 5. स 6. ब 7. स 8. ब